न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–227 / 2024 निर्णय दिनांक :–26.02.2026

उनवानी दावा :

1. शिवा सिंह राठौड़ पुत्र स्व0 प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी घोसी मोहल्ला देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. प्रेम किरण चौहान पुत्री स्व0 प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी घोसी मोहल्ला देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. भावना कवंर पुत्री स्व0 प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी घोसी मोहल्ला देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण

बनाम

तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0।

–प्रतिवादी–

उपस्थिति :–

श्री अनिल चौहान

अधिवक्ता वादीगण **तहसीलदार देवली**

दावा घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की माता किशन राठौड़ पत्नि श्री प्रताप सिंह जाति रावणा राजपूत की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि हाल ख0नं0 1381 रकबा 0.33 है0 वाके देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। वादीगण की माता किशन राठौड़ ने उक्त वर्णित आराजीयात को उसके खातेदार श्रीमती चान्दकवंर पत्नि श्री नरेन्द्र सिंह शक्तावत हाल निवासी देवली शहर से दिनांक 19.01.2006 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र कीमतन खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिसके आधार पर वादीगण की माता किशन राठौड़ के नाम नामांतकरण संख्या 1664 दिनांक 29.03.2006 खेला गया जिसमे वादीगण की माता किशन राठौड़ के नाम का सही इन्द्राज हो रखा है। उसके बाद जमाबंदी सवंत 2066 से 2069 मे सहवन से राजस्व रिकार्ड मे वादीगण की माता किशन राठौड़ के नाम इन्द्राज करते समय वादीगण की माता का नाम किरण राठौड़ पत्नि जयसिंह गलत अंकन हो गया जबकि वादीगण की माता का वास्तविक नाम किशन राठौड पत्नि प्रताप सिंह है। वादीगण की माता किशन राठौड ने अपने वास्तविक नाम से ही जमीन की थी तथा कब्जा प्राप्त किया था। वादीगण की माता किशन राठौड के सभी सरकारी दस्तावेजात मे वादीगण की माता का नाम किशन राठौड पत्नि श्री प्रताप सिंह सही रूप अंकित है। वादीगण की माता किशन राठौड की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण मृतक किशन राठौड के जायज वारिसान एवं उत्तराधिकारी है। वादीगण के अलावा मृतक किशन राठौड के अन्य कोई वारिसान नही है। वादीगण की माता किशन राठौड का नाम राजस्व रिकार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेज में अलग अलग होने से वादीगण के नाम नामांतकरण नही खोला जा

Ruby

रहा है जिससे वादीगण को काफी परेशानी हो रही है तथा राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है तथा ना ही ऋण प्राप्त कर पा रहे है।

वाद वर्णित आराजीयात पर पूर्व मे वादीगण की माता का कब्जा था तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी काबिज है। ऐसी स्थिति मे राजस्व रिकार्ड मे वादीगण की माता का नाम न्यायहित मे दुरूस्त कर किशन राठौड़ पत्नि श्री प्रताप सिंह जाति रावणा राजपूत अंकित किया जाकर वादीगण को वाद वर्णित भूमि का खातेदार काश्त घोषित किया जाना आवश्यक है जिसके लिये यह वाद पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। वाद कारण आज से 15 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने अपने नाम भूमि का नामांतकरण खुलवाने के लिये हल्का पटवारी के पास गये परन्तु राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेज मे वादीगण की माता का नाम अलग–अलग अंकित होने से नामांतकरण खोलने से मना कर दिया तब से लगाातार उत्पन्न हो रहा है। तहसीलदार जी देवली को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षैत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। उक्त वाद पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद दो प्रतियो में प्रस्तुत है।

अतः वादीगण की अधियाचना है कि :– वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी बाबत उद्घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्रज डिक्री किया जाकर वाद वर्णित आराजी भूमि हाल खसरा नम्बर 1381 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0 के राजस्व रिकार्ड मे वादीगण की माता का नाम न्याहित मे दुरूस्त कर किशन राठौड़ पत्नि श्री प्रताप सिंह जाति रावणा राजपूत अंकित किया जाकर वादीगण को वाद वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे तथा अन्य सहायता जो वादीगण के हित मे लाभप्रद हो प्रदान करवायी जावे।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया।

जवाब निम्नानुसार पेश है :– बिन्दू संख्या 1 वादीगण की माता किशन राठौड़ पत्नी प्रताप सिंह कौम रावाणा राजपूत निवासी देवली के नाम नामांतकरण संख्या 1664 दिनांक 29 .03. 2006 ग्राम देवली गांव से खसरा नंबर 1381 रकबा 0.33 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड हुई। बिन्दु संख्या 2 स्वीकार है। बिंदु संख्या 3 स्वीकार है ग्राम देवलीगांव की राटेशन जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में खसरा नंबर 1381 रकबा 0.33 हेक्टेयर किरण राठौड़ पत्नी जयसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। बिन्दू संख्या 4 स्वयं सिद्ध करें । बिन्दू संख्या 5 स्वयं सिद्ध करें। बिन्दू संख्या 6 राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम देवलीगांव में खसरा नंबर 1381 रकबा 0.33 है0 ''किरण राठौड़ पत्नी जय सिंह'' के बजाय ''किशन राठौड़ पत्नी प्रताप सिंह'' शुद्ध किया जाना उचित है। बिन्दू संख्या 7 स्वयं सिद्ध करें। बिन्दू संख्या 8 माननीय न्यायालय से सम्बंधित/कानूनी है। बिन्दू संख्या 9 माननीय न्यायालय से सम्बंधित/कानूनी है। बिन्दू

Ruby

संख्या 10 माननीय न्यायालय से सम्बंधित/कानूनी है। अधियाचना (अ) ग्राम देवलीगांव के खसरा नम्बर 1381 रकबा 0.33 है0 किरण राठोड पत्नी जयसिंह के बजाय किशन राठोड पत्नी प्रतापसिंह शुद्ध किया जाना उचित है। (ब) माननीय न्यायालय से सम्बंधित है।

प्रतिवादी की ओर से इकबालिया जवाब पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही हुई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 स्वयं शिवा सिंह राठोड पुत्र स्व0 प्रताप सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी घोसी मोहल्ला देवली जिला टोंक व पी. डब्ल्यू–2 रामेश्वर प्रसाद मेघवाल पुत्र भूवाना मेघवाल उम्र 50 वर्ष निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक पेश किए।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रति विक्रय पत्र, प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत् 2062–65, प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत् 2066–69, प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2070–73, प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत् 2074–77 पेश किए।

प्रतिवादी की ओर से इकबालिया जवाब होने से जिरह NIL रही। अतः जिरह बंद कर साक्ष्यवादी बंद कीगई ।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि उनकी माता किशन राठोड पत्नी श्री प्रतापसिंह ने वाद वर्णित भूमि को दिनांक 19.01.2006 को विधिवत् पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा चान्दकंवर धर्म पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह शक्तावत, जाति राजपूत, निवासी देवली से क्रय किया। उक्त विक्रय के आधार पर नामांतकरण संख्या 1664 दिनांक 29.03.2006 द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2062–65 में किशन राठोड पत्नी श्री प्रतापसिंह का नाम सही रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। पश्चातवर्ती जमाबंदियों सम्वत् 2066–69, 2070–73 एवं 2074–77 में राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश नाम किरण राठोड पत्नी जयसिंह अंकित हो गया है। उक्त त्रुटि के कारण उनका नामांतकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें विधिक व प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार कर वाद वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वर्तमान जमाबन्दी खसरा नम्बर 1381 रकबा 0.33 है0 ग्राम देवलीगांव तहसील देवली में किरण राठोड पत्नी जयसिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी द्वारा अपने पक्ष में पेश दस्तावेज प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रति रजि0 विक्रय पत्र, से यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि वादीगण की माता द्वारा भूमि का क्रय विधिवत् पंजीकृत विक्रय पत्र से किया गया। प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत् 2062–65 से यह प्रमाणित होता है कि क्रय के पश्चात् नामान्तकरण सं0 1664 दिनांक 29.03.2006 द्वारा विधिवत् स्वीकृत होकर किशन राठोड पत्नी प्रतापसिंह का नाम

राजस्व रिकॉर्ड में सही रूप से अंकित किया गया। प्रदर्श–3, 4 एवं 5 के क्रमिक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि संवत् 2066–69 से निरंतर जमाबंदियों में नाम किरण राठोड पत्नी जयसिंह अंकित किया गया, जबकि इस परिवर्तन के समर्थन में न तो कोई विक्रय, न उत्तराधिकार और न ही कोई वैधानिक आदेश अभिलेख पर है। अतः यह स्पष्ट है कि नाम परिवर्तन किसी अधिकारजन्य हस्तांतरण का परिणाम नहीं, बल्कि मात्र त्रुटि है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत ऐसी त्रुटियों का सुधार किया जाना विधिसम्मत है। चूँकि खातेदारी अधिकार पर कोई वास्तविक विवाद नहीं है तथा पेरोकार सरकार के जवाब द्वारा भी दुरुस्ती को स्वीकार किया गया है, अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत खातेदारी की उद्घोषणा किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं प्रदर्शों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादीगण का वाद पूर्णतः न्यायसंगत एवं स्वीकार योग्य है।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। वादीगण को मृतक किशन राठोड के वैध उत्तराधिकारी होने के कारण वाद वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वाद वर्णित आराजी भूमि खसरा नम्बर 1381 रकबा 0.33 हैक्टेयर, ग्राम देवलीगांव, तहसील देवली, जिला टोंक के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम "किरण राठोड पत्नी जयसिंह" के स्थान पर "किशन राठोड पत्नी प्रतापसिंह" का इन्द्राज दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार, देवली को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन कराकर नामांतकरण की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
देवली
देवली (टोंक)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम

देवली व अलजाम रूबी अंसार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक...............................

1. शिवा सिंह राठौड़ पुत्र स्व0 प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी घोसी मोहल्ला देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. प्रेम किरण चौहान पुत्री स्व0 प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी घोसी मोहल्ला देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. भावना कवंर पुत्री स्व0 प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी घोसी मोहल्ला देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण

बनाम

तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0। **–प्रतिवादी–**

<u>दावा उद्घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज</u>

मुकदमा नं. 227 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ रूबी अंसार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अनिल चौहान अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार प्रतिवादी मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबन्दी संम्वत 2074–77 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली के खसरा नम्बर 1381 रकबा 0.33 है0 में अंकित नाम को विलोपित कर "किरण राठोड पत्नी जयसिंह" के स्थान पर "किशन राठोड पत्नी प्रतापसिंह" जाति रावणा राजपूत का नाम उद्घोषित किया जाता है।

निजी...मुवलिक...बाबत् ....
.............................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 02 सन् 2026 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....Ruby..........

ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी देवली..........

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।